

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत मो0 फहीम रज़ा पिता मो0 हकीमुद्दीन, सुहैल अख्तर पिता अमानत हुसैन, नाज़िया हसन पति मुमताज़ अहमद और अंजुम आरा पिता सहनवाज़ आलम, निवासी ग्राम: राजधर, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राजधर, सिदालू एवं कनौदा, थाना सं: 95 (रैयती) खाता सं. 18 के अधीन प्लॉट सं: 208, ग्राम: राजधर, थाना सं: 97 (रैयती) खाता सं. 04 के अधीन प्लॉट सं: 44, 54, 55, ग्राम: सिदालू, थाना सं: 94 (रैयती) खाता सं. 04 के अधीन प्लॉट सं: 37, 39, ग्राम: कनौदा, थाना सं: 94 (गैर मजरूवा जंगल झाड़ी) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं: 40 एवं 41 (भाग), कुल रकबा - 08.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: राजधर, सिदालू एवं कनौदा, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राजधर, सिदालू एवं कनौदा, थाना सं: 95 (रैयती) खाता सं. 18 के अधीन प्लॉट सं: 208, ग्राम: राजधर, थाना सं: 97 (रैयती) खाता सं. 04 के अधीन प्लॉट सं: 44, 54, 55, ग्राम: सिदालू, थाना सं: 94 (रैयती) खाता सं. 04 के अधीन प्लॉट सं: 37, 39, ग्राम: कनौदा, थाना सं: 94 (गैर मजरूवा जंगल झाड़ी) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं: 40 एवं 41 (भाग), कुल रकबा - 08.00 एकड़ भूमि के तहत मो0 फहीम रज़ा पिता मो0 हकीमुद्दीन, सुहैल अख्तर पिता अमानत हुसैन, नाज़िया हसन पति मुमताज़ अहमद और अंजुम आरा पिता सहनवाज़ आलम, निवासी ग्राम: राजधर, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

Group
15/06/2020